

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 3825/प्रवर्तन/दो-48/2013

दिनांक 07/30/13  
जुलाई, 2013

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य सम्पत्ति अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त,  
गढवाल/कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
उत्तराखण्ड।
7. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय- राज्य के विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक 17-01-2013 के क्रम में राज्य के अतिविशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों एवं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किया गया है।

- 2- इच्छुक विभाग परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों से अनधिक दरों पर अपने जनपद के परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता से स्थानीय निविदा आमंत्रित कर वाहन किराये पर ले सकते हैं।
- 3- यदि किसी जनपद में कोई वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नहीं होता है तो सम्बन्धित विभागों के अधिकारी निकटवर्ती जनपद के परिवहन

कार्यालयों में पंजीकृत वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता से उपरोक्त प्रक्रियानुसार वाहनों किराये पर ले सकते हैं।

- 4- विभिन्न मेक/प्रकार की वाहनों के सम्बन्ध में अधिकतम दैनिक/मासिक दरों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

क्रम संख्या	वाहन का मेक/प्रकार	अधिकतम मासिक दर रूपये में	अधिकतम दैनिक दर रूपये में
1	टोयोटा इनोवा वीएक्स	40000	1800
2	टोयोटा इनोवा	31000	1400
3	स्कोडा लौरा	41000	1900
4	होन्डा सिटी	27000	1200
5	महिन्द्रा एक्सयूवी 500	34000	1500
6	मारुति एसएक्स 4 पेट्रोल	24000	1100
7	मारुति एसएक्स 4 डीजल	28000	1300
8	स्विफ्ट डिजायर	23000	1100
9	टाटा इन्डिगो	22000	1000
10	टाटा मान्जा	23000	1100
11	मारुति अर्टिगा	25000	1100
12	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो	21000	1000
13	टाटा इन्डिका	18000	800

- 5- अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्ज का भुगतान पृथक से किया जाएगा।
- 6- उपरोक्त दरों में ईंधन व्यय सम्मिलित नहीं है। वाहन के लिए डीजल/ईंधन की आपूर्ति निम्न माईलेज के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी:-

क्रम संख्या	वाहन का मॉडल	ईंधन की खपत किमी/ली
1	टोयोटा इनोवा वीएक्स	10
2	टोयोटा इनोवा	10
3	स्कोडा लौरा	18
4	होन्डा सिटी	15
5	महिन्द्रा एक्सयूवी 500	10
6	मारुति एसएक्स 4 पेट्रोल	10
7	मारुति एसएक्स 4 डीजल	12
8	स्विफ्ट डिजायर	15

9	टाटा इन्डिगो	15
10	टाटा मान्जा	15
11	मारुति अर्टिगा	15
12	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो	12
13	टाटा इन्डिका	18

7- किराये पर वाहनों की आपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

- (1) इच्छुक अधिकारी शासनादेश संख्या-65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक 17-01-2013 के अन्तर्गत अनुमन्यता के आधार पर प्रस्तर 4 में उल्लिखित निर्माता (make & model) की वाहन किराये पर ले सकते हैं।
- (2) आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- (3) आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellant Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होना आवश्यक है।
- (4) वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
- (5) वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा-पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।
- (6) आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non-transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- (7) वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।
- (8) आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

- (9) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा सम्बन्धित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
- (10) सम्बन्धित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- (11) आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
- (12) मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
- (13) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
- (14) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
- (15) वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
- (16) आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नडेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
- (17) उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।
- (18) वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।
- (19) वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
- (20) **भुगतान की रीति**  
(एक) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर किया जाएगा।

- (दो) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।
- (21) सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा—
- (एक) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
- (दो) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं।
- (22) कर एवं अन्य देयकों का भुगतान
- (एक) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।
- (दो) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।
- (23) आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा—श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहाँ लागू हों)
- 8— विभिन्न संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में जनपदवार पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं/वाहन स्वामियों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट [transport.uk.gov.in](http://transport.uk.gov.in) पर देखी जा सकती है।

भवदीय,



(डॉ० उमाकान्त पंवार)  
परिवहन आयुक्त।